छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 3–84/2003/खनिज, रायपुर, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला बस्तर (छ.ग.)

विषयः जिला बस्तर, तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटे डोंगर के वन कम्पार्टमेंट नंबर 252, 267, 268, 269 का रकबा 57.00 हे. क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा.लि. के पक्ष में स्वीकृत किये जाने बाबत् ।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक खनिज/एम.एल. –16/03/446/2003, दिनांक 2.8.2003

***

जिला बस्तर तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर के आवेदित वन कम्पार्टमेंट नं. 252, 267, 268, 269 रकबा 57.00 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा.लि. के आवेदन पत्र दिनांक 3.7.2002 पर विचार करते हुए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

क्र0	आवेदक का नाम	को–आर्डिनेट्स			वन कम्पार्टमेंट	स्वीकृत रकबा हेक्टर
		पाइंट	अक्षांश	देशांश		
1	श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा.लि.	A B C D	19°24'43.9" 19°24'51.4" 19°24'20.4" 19°24'12.5"	81°16'58.6" 81°17'12.5" 81°17'31.9" 81°17'17.8"	252, 267, 268 एवं 269	57.00 (को–आर्डिनेट्स के मध्य आने वाला क्षेत्र)

2/ उक्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत भारत सरकार, खान मंत्रालय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव इस विभाग के पत्र दिनांक 29.3.2004 से प्रेषित किया गया ।

3/ भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.8.2004 से आवेदक कंपनी के पक्ष में ग्राम छोटेडोंगर के वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268, 269 रकबा 57.00 हेक्टर क्षेत्र पर 02 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।

D:\MRD\Let-3\Let. 31.03.doc

Shri Bajrang Power & Ispat Ltd.
Director/Authorised Signatory

SHRI BAJRANG POWER ISPAT LTD.
Recipt 2887
Date 20/12/05

4/ अतः राज्य शासन द्वारा आवेदक कंपनी को नीचे दर्शाये विवरण एवं शर्तों पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. आवेदक का नाम एवं पता — मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा.लि. 521 उरला औद्योगिक क्षेत्र रायपुर

2. स्वीकृत क्षेत्र का विवरण —

जिला	तहसील	ग्राम	वन कक्ष कमांक	रकबा
बस्तर	नारायणपुर	छोटेडोंगर	252, 267, 268, 269	57.00 हे0

3. खनिज का नाम — लौह अयस्क

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि 02 वर्ष (बिना नवकरण कंडिका के)

5. थियोडोलाइट से सर्वेक्षण यदि आवश्यक हो तो किया जाये ।

6. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर के पत्र कमांक 11/भू–प्रबंध/खनिज/1536, दिनांक 16.62005 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु जारी शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाए ।

7. पूर्वेक्षण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार जो भी अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता हो, तत्संबंधी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाए ।

5/ यदि आवेदक को उपरोक्त शर्ते मान्य हो तो नियमानुसार जमानत राशि जमा कराकर आदेश प्राप्त होने के तीन माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन किया जाकर अनुबंध की एक प्रति इस विभाग को भेजी जाए ।

अनुबंध निष्पादन पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक पर कोई खनिज राजस्व की राशि बकाया तो नहीं है ।

हस्ता/-
(ए.के. आर्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

कमांक एफ 3–84/2003/12/2, रायपुर, दिनांक 19-12-2005

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, की ओर पत्र क 5(26)/2004 खान एवं कमांक 5(27)/2004–खान दिनांक 31.8.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
3. कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर (महाराष्ट्र)
4. डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी, धनबाद (बिहार)
5. मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा.लि. 521 उरला, औद्योगिक क्षेत्र रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

19/12
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

Shri Bajrang Power & Ispat Ltd.
Director/Authorised Signatory

D:\MRD\let-3\let. 84-03.doc